न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म0प्र0)

जमानत आवेदन क.403/21

1. संजू उर्फ संजीव अहिरवार तनय किशोरीलाल अहिरवार
   उम्र 26 साल,
2. किशोरीलाल तनय सकूरे अहिरवार, उम्र 50 साल,
3. श्रीमती पार्वती पत्नी किशोरीलाल अहिरवार, उम्र 48 वर्ष,
4. सुनील अहिरवार तनय किशोरीलाल अहिरवार, उम्र 22 वर्ष
   समस्त निवासीगण ग्राम धायपुरा थाना लहचूरा
   जिला झांसी उ0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा थाना अलीपुरा जिला
छतरपुर म0प्र0 .....अनावेदक

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 24.04.2021)

24.04.2021

मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक 112/दो–12–6/60 दिनांक 24.04.21 (कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण रिमांड ड्यूटी आदेश) के पालन में नौगांव न्यायालय में पदस्थ अपर जिला न्यायाधीशों के कोरोना पॉजीटिव होने से आज अकार्य दिवस में ड्यूटी के दौरान यह जमानत आवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि किरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा ए.जी.पी. सुश्री सरोज कुशवाहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित।

जमानत आवेदन के निराकरण हेतु थाना अलीपुरा से अपराध क्रमांक 50/21 धारा 498ए सहपठित 34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रेतिषेध अधिनियम की केसडायरी मय विरोध पत्र के ईमेल के माध्यम से प्राप्त।

आवेदक/आरोपीगण के अधिवक्ता ने इस अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को आवेदक/आरोपीगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होना बताते हुए सूचित किया कि इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है और न ही पूर्व में निरस्त हुआ है। उक्त सूचना के समर्थन में श्रीमती कल्पना अहिरवार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा विवाह के समय व विवाह के पश्चात दहेज की कभी कोई मांग नहीं की गई है। विवाह के समय से ही आवेदक

क्र.1 दिल्ली में मजदूरी कर अपने परिवार का भरणपोषण करता था। आवेदकगण द्वारा साहूकारों से कर्ज लेकर विवाह किया गया था जो अभी तक चुका नहीं है। फरियादिया हमेशा जमीन के बटवारे को लेकर झगड़ा करती थी और दिनांक 25.05.20 व 08.07.20 को झगड़ा कर अपने भाई लोगों को बुलाकर आवेदकगण की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट थाना लहचूरा में दर्ज की गई थी। आवेदकगण गांव के सीधे–सादे व्यक्ति है। यदि उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो उनके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी और जेल में रहने पर कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने की अधिक संभावना है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है।

आवेदक/आरोपी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर ही तर्क प्रस्तुत किये हैं जबकि राज्य की ओर से उपस्थित ए0जी0पी0 ने उक्त जमानत आवेदन पर अपना विरोध व्यक्त किया है।

उभय पक्षों को सुना गया। केसडायरी का अवलोकन किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.21 को फरियादिया राधा उर्फ धनवन्ती ने थाना आकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि उसकी शादी संजू अहिरवार के साथ दिनांक 27.04.15 को हुई थी जिसमें उसके माता–पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था किन्तु शादी के एक साल बाद से उसका पति संजू, ससूर किशोरीलाल, सास पार्वती एवं देवर सुनील अहिरवार उस पर एक लाख रूपये व चार पहिया वाहन लाने के लिए जबरन दबाव बनाने लगे और मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। पिछले वर्ष माह दिसम्बर में उसके ससुराल वालों ने उसकी मारपीट कर सभी सामान छुड़ाकर बच्चों सहित घ ार से निकाल दिया। फरियादिया के घरवालों के समझाने पर उसका पति बोला कि जब तक एक लाख रूपये और ऑल्टो कार नहीं दोगे तब तक फरियादिया को नहीं रखेगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आवेदकगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए सहपठित धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध क्र0 50/21 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

केस डायरी के अवलोकन से घटना में फरियादिया को किसी प्रकार की कोई उपहति कारित होना दर्शित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई जप्ती या विवेचना कार्य में उसकी आवश्यकता होना केस डायरी या प्रतिवेदन से

दर्शित नहीं है।

इस संबंध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय का **अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य 2014 (भाग–2)लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट टुडे 138** का न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है जिसमें मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 41 और 41–ए के संबंध में यह प्रेक्षण दिया गया है कि अपवादित परिस्थितियों के अलावा 7 वर्ष तक के कारावास के मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। ऐसे मामलों में धारा 41–ए के नोटिस के माध्यम से अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी यह दायित्व डाला गया है कि ऐसे मामलों में न्यायिक मजि0 बिना समुचित कारण लिखे निरोध प्राधिकृत नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत एवं केस डायरी में लेख तथ्यों के आधार पर पुलिस द्व ारा गिरफ्तारी किये जाने की कोई आशंका दर्शित नहीं है एवं न्यायिक मजि0 भी उक्त न्याय दृष्टांत से विधि के अनुसार आबद्ध हैं।

ऐसी स्थिति में अग्रिम प्रतिभूति की आवश्यकता प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होती है। किन्तु आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपनी गिरफ्तारी की आशंका प्रकट की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से भी पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश किया जाना दर्शित होता है। इस परिस्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने की दशा में उनके द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी/न्यायालय के संतोषप्रद निम्नलिखित शर्तों के अधीन 25–25 हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे–

शर्ते–

1. आवेदकगण साक्षियों एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
2. विवेचना कार्य में सहयोग करेंगे।
3. आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
4. न्यायालय में नियत दिनाकों पर उपस्थित रहेंगे।

आदेश की प्रतिलिपि सहित केस डायरी वापस हो।
परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।

(संजय कुमार जैन)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर, म0प्र0